न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री राजेन्द्र विजय (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 219/2014

बउनवान

रामकरण पुत्र श्री गोपाल जाति–धाकड़, नि. विजयपुर तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री चन्द्रप्रकाश यादव, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 16.08.2021

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 28.01.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–विजयपुर, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म गै.मु.तलाई पर अतिक्रमी मानकर 150/–रूपये अर्थदण्ड एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों व दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर दोषी करार देकर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। तथा अपीलांट द्वारा ताबान राशि भी जमा करवा दी गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को नोटिस सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर मौके की

कोई जॉच नहीं की गयी है कि अपीलांट का प्रश्नगत आराजी पर कब्जा है या नहीं। निर्णय मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर विश्वास करके आदेश पारित किया गया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है ना हीं तावान राशि बक़ाया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 337/11 निर्णय दिनांक 18.05.2011 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी गै.मु.तलाई है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 337/11 निर्णय दिनांक 18.05.2011 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 72/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Vijay
Date: 2021.10.04 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र विजय)
जिला कलक्टर, बारां